समक्ष आई. *एस. तिवाना, माननीय न्यायमूर्ति*

कर्मचारी राज्य बीमा निगम *याचिकाकर्ता।*

बनाम

पश्चिमी विद्युत और वैज्ञानिक कार्य-प्रतिवादी।

1986 की पुनरीक्षण संख्या 1

30 अप्रैल 1986.

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948 का XXXIV) - *धारा* 75 - जंक्शन *में स्थायीकरण के लिए नियोक्ता निगम के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर कर रहा है - नियोक्ता इस आधार पर राहत का दावा कर रहा है कि फैक्ट्री अधिनियम के तहत कवर नहीं है और इस तरह कोई योगदान देने की आवश्यकता नहीं है - अधिनियम की धारा* 75 *-क्या सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक लगाती है।*

माना गया कि कर्मचारी, राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 75 के प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि कर्मचारी बीमा न्यायालय के पास किसी भी योगदान या लाभ के संबंध में किसी व्यक्ति और निगम के बीच विवाद को निपटाने का अधिकार क्षेत्र है । अधिनियम और उपधारा (3) के तहत देय या वसूली योग्य अन्य देय राशि स्पष्ट

रूप से सिविल न्यायालय को उपरोक्त विवाद पर निर्णय लेने से रोकने का आदेश देती है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 75 सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक लगाती है।

(पैरा 4)

श्री राजिंदर कुमार बिश्नोई, एचसीएस उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, अंबाला कैंट के दिनांक 16 अक्टूबर, 1985 के *आदेश के विरुद्ध* 115 सीपीसी *और संविधान की धारा 227 और* कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 75 *के तहत याचिका जिसमें यह कहा गया कि सिविल न्यायालय के पास विवाद की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र* है ।

याचिकाकर्ता के वकील केएल कपूर ।

प्रतिवादी के वकील एमपी आनंद ।

निर्णय

आईएस तिवाना, माननीय न्यायमूर्ति -

1. इस याचिका में उठाया गया विवाद ट्रायल कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, अंबाला कैंट के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। उनका आदेश दिनांक 16 अक्टूबर, 1985 का है, जिसमें कहा गया है कि सिविल कोर्ट के पास विवाद की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, यानी कि मुख्य सवाल यह है कि क्या वादी-संबंधित (अब प्रतिवादी) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (संक्षेप में, अधिनियम) के तहत आते है।

2. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुनने के बाद, मैंने पाया कि विवादित आदेश पूरी तरह से अवैध है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

3. विवाद से संबंधित तथ्य यह है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता-निगम को 20972/- रुपये या अधिनियम के तहत कोई अन्य राशि की वसूली करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। इस दलील पर कि उसका कारखाना अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता था। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता की दलील थी कि प्रतिवादी से वसूली जाने वाली राशि को अधिनियम के तहत पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधिवत संसाधित किया गया था और प्रतिवादी की चिंता पूरी तरह से अधिनियम के तहत कवर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 75 की उपधारा (3) के मद्देनजर सिविल कोर्ट को मुकदमे की सुनवाई का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। पक्षों की दलीलों के आलोक में, ट्रायल कोर्ट ने कई मुद्दे तय किए, जिनमें यह भी शामिल था कि "क्या इस अदालत के पास इस मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जैसा कि आरोप लगाया गया है? ओपीडी"। इस बाद के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निपटाया गया है, जिसका निष्कर्ष पहले ही ऊपर देखा जा चुका है।

4. जैसा कि पहले बताया गया है, मेरी राय है कि यह मुद्दा कि क्या प्रतिवादी का कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आता है अधिनियम के तहत कर्मचारी बीमा न्यायालय की क्षमता के अंतर्गत आता है और धारा 75(1)(9) एवं उपधारा (3) के प्रावधानों के आलोक में सिविल न्यायालय के पास इस पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं

है। ये प्रावधान इस प्रकार हैं:

"(1) यदि कोई प्रश्न या विवाद उठता है -

"(g) कोई अन्य मामला जो मुख्य नियोक्ता और निगम के बीच विवाद में है, या एक प्रमुख नियोक्ता और एक तत्काल नियोक्ता के बीच, या एक व्यक्ति और निगम के बीच या एक कर्मचारी और एक प्रमुख या तत्काल नियोक्ता के बीच, इस अधिनियम के तहत देय या वसूली योग्य किसी भी योगदान या लाभ या अन्य देय राशि के संबंध में, या किसी अन्य आवश्यक मामले के संबंध में। हो या जो इस अधिनियम के तहत कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है।

(3) किसी भी सिविल न्यायालय को उपरोक्त किसी भी प्रश्न या विवाद पर निर्णय लेने या उससे निपटने या किसी भी दायित्व पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जो इस अधिनियम के तहत कर्मचारी बीमा न्यायालय या उसके तहत एक मेडिकल बोर्ड, या एक मेडिकल अपील न्यायाधिकरण या द्वारा तय किया जाना है।"

(महत्व जुड़ा)

5. उन प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि कर्मचारी बीमा न्यायालय के पास अधिनियम के तहत देय या वसूली योग्य किसी योगदान या लाभ या अन्य देय राशि के संबंध में किसी व्यक्ति और निगम के बीच विवाद को निपटाने का अधिकार क्षेत्र है और यदि ऐसा है, तो मेरे विचार से उप-धारा (3) स्पष्ट रूप से सिविल कोर्ट को "उपरोक्त विवाद" पर निर्णय लेने से परहेज करने का आदेश देती है।

अपने इस निष्कर्ष के लिए, मैं **कर्मचारी बासी बीमा निगम, बॉम्बे बनाम आरपी गुंडू, (1984) 64 एफजेआर 120** से भी समर्थन चाहता हूं , जिसमें इसी तरह की राय व्यक्त की गई है।

6. इस प्रकार, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और विवादित आदेश को रद्द करता हूं। हालाँकि, मैं लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करता।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

उदित अग्रवाल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा